अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम:– नसीराबाद

छोटू बनाम रंगलाल 2016/00079

किस्म मुकदमा :– 88/188, 91 रा. काश्त. अधि. 1955, 136 प्रकरण संख्या 36 सन :– 16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.3.16	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 29.4.16 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद**	2040-71 22/3/16
29.4.16	**पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 7.7.16 को पेश हो।** **आदेशानुसार** **रीडर**	
	न्याय आपके द्वार अभियान – 2016	
23.6.16	पत्रावली कैम्प कोर्ट खाम्भोलाव में पेश हुई। वकील वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खाम्भोलाव की वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम छोटू पुत्र कल्याण के बजाय छोटू पुत्र रिद्धकरण कर दिया है। छोटू रिद्धकरण का प्राकृतिक पुत्र है व कल्याण का दत्तक पुत्र है अतः वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम छोटू पुत्र कल्याण किया जावे। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम छु	

पीठासीन अधिकारी
~~लोक अदालत~~/कैम्प कोर्ट : अम्भोदा

आराजी का तोड़ पुत्र कल्याण व कुछ आराजी का तोड़ पुत्र रिछपाल दर्ज है वादी रिछपाल का जायजा पुत्र है किन्तु कल्याण के ~~जैविक~~ ~~ओरस~~ औरस पौत्र का कोई प्रमाण वादी ने पेश नहीं किया है वादी शेष आराजी पर भी कल्याण के स्थान पर स्वयं का नाम दर्ज कराना चाहता है। प्रकरण मुख्यतः कल्याण की विरासत से संबंधित है। अत

अतः ग्राम कांकरोली के खाता खसरा 50/42, 49/41, 51/43, 58/55, 59/56, 60/57, 223/234, 528/512, 529/513, 664/642, 665/643 की आराजी पर वादी के वाद को निस्तारित इस आशय से किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर कल्याण पुत्र लाल्लू की विरासत धारा 135(2) राज. भू. रा. अधि 1956 के अनुसार दर्ज करने की कार्यवाही करेगा पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
~~लोक अदालत~~ कैम्प कोर्ट : [illegible]